

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

दिनांक:

9/1/2025

क्र.सं. प.10(न.पा.)(गतन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/431

संशोधित-अधिसूचना

संख्या 18)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) संपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 3938-3968 दिनांक 10.10.2024 के द्वारा नवगठित नगरपालिका सिणधरी घोषित की गई थी। पूर्व में अधिसूचित नगरपालिका की सीमा विस्तार करते हुए अब सम्पूर्ण नगरपालिका सिणधरी का सीमा क्षेत्र निम्न प्रकार से हो जावेगा :-

क्र.सं.	जिला	नगरपालिका का नाम	नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत / राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	बालोतरा	सिणधरी	ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा का राजस्व ग्राम सिणधरी चौसीरा, सिणधरी उर्फ बेड़, किशनपुर, ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान का राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान, वाडेल नाडी, गादेसर, सती जसनाथनगर, ग्राम पंचायत नाकोडा का राजस्व ग्राम आदर्श नाकोडा, ग्राम पंचायत विलासर का राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी, ग्राम पंचायत पांयलारुर्द का राजस्व ग्राम गादेसर सिटी का सम्पूर्ण क्षेत्र।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमारपाल गौतम)

आयुक्त एवं शासन सचिव